फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री किशन गुसाई वगैरह**

विपक्षी :– **श्री नारायणलाल मेनारिया**

किस्म मुकदमा :– 188 आरटीएक्ट

पत्रावली संख्या :– **224/16 वादपत्र**

जीसीएमएस नम्बर :– **2016/00384**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिनांक 06.08.2025 को "No Instructin Plead" किया जा चुका है। वादीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। सूचना पत्र पर तामील रिपोर्ट अनुसार वादीगण पत्रावली में दिये गये पते पर नही रहते है। वादीगण को आज पुनः निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। सांय 5 बजे पुनः निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण में पैरवी करने से मना किया जा चुका है। वादीगण स्वयं पत्रावली में दिए गए पते पर नही रहते है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण को वादीगण का पता पुछा गया तो जानकारी नही होना बताया। प्रकरण में वादीगण का उपस्थित नही होने से जाहीर होता की वादीगण को प्रकरण आगे चलाने में कोई रूची नही है। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:20 IST
Reason: SelfAttested